



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जून, 2010 ई० (आषाढ़ 05, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञापित्याँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल यहोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्जीनियर्स (आई०) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर-ISBT माजरा, देहरादून।

अधिसूचना

14.05.2010

संख्या: एफ-७(५)/आर.जी./यूईआरसी/2010/३४—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बडसमैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) विनियम 2004 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन—

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बडसमैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2010 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम ५ के उप विनियम १ में निम्न पहला परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

“परन्तु यह कि, किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञापी का पेशेवर सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा तब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, जब तक ऑम्बडसमैन द्वारा अनुमति न दी जाए। तथापि, जहाँ उपमोक्ता सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का चुनाव करे, तब वितरण अनुज्ञापी को भी यह अधिकार दिया जायेगा।”

आयोग के आदेश द्वारा,

पंकज प्रकाश,
सचिव।